सं. 1/13/09- पी एंड पीडब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 11 सितंबर, 2013

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की कुटुंब पेंशन मंजूर किए जाने की पात्रता - तत्संबंधी स्पष्टीकरण।

25 वर्ष की आयु के उपरांत किसी विधवा/तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन दिए जाने से संबंधित प्रावधान दिनांक 30.08.2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया है । इस प्रावधान को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उप नियम 54 (6) के अनुच्छेद (iii) में शामिल किया गया है। पुराने मामलों के निपटारे के लिए, दिनांक 28.04.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यदि सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु इस तिथि से पूर्व हो चुकी है, तो 30.08.2004 से पात्र विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को कुटुंब पेंशन दी जाए।

2. इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों, जो कर्मचारी/ पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात विधवा/ तलाकशुदा हुई हैं, की कुटुंब पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के स्पष्टीकरण संबंधी पत्र प्राप्त होते रहे हैं।

3. जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(8) में उल्लिखित है कि 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बारी, उनके माता/पिता, अर्थात् पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति की मृत्यु या पुनर्विवाह के उपरांत आती है। उसके बाद, विकलांग बच्चों को जीवनपर्यंत कुटुंब पेंशन देय होती है, और उसके बाद 25 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि बच्चों को कुटुंब पेंशन इसलिए देय होती है, क्योंकि उन्हें सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित माना जाता है। जो बच्चा न्यूनतम कुटुंब पेंशन एवं महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक धनराशि अर्जित नहीं करता है, उसे अपने माता-पिता पर आश्रित माना जाता है। इसलिए केवल वही बच्चे, जो आश्रित हैं और सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के समय, जो भी बाद में हो, कुटुंब पेंशन पाने की अन्य शर्तें पूरी करते हैं, वे कुटुंब पेंशन पाने के पात्र हैं। यदि उस समय दो या अधिक बच्चे कुटुंब पेंशन पाने के पात्र हैं, तो प्रत्येक बच्चे को उसकी बारी के अनुसार कुटुंब पेंशन देय होगी, बशर्ते अपनी बारी आने पर भी वह कुटुंब पेंशन पाने का/की पात्र हो। इसी प्रकार, विधवा/तलाकशुदा पुत्री को भी कुटुंब पेंशन देय है, बशर्ते अपने माता-पिता की मृत्यु/अपात्रता के समय और कुटुंब पेंशन प्राप्त करने की अपनी बारी आने वाले दिन वह पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हो।

5. जहां तक पुराने मामलों को खोले जाने का प्रश्न है, यदि कोई पुत्री पिछले पैरा में बताए अनुसार पेंशन पाने की पात्र है, तो उसे 30 अगस्त, 2004 से कुटुंब पेंशन दी जा सकती है। इस स्थिति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। किसी पेंशनभोगी श्री 'ए' की 1986 में मृत्यु हो गई थी। वह

अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती 'बी', एक पुत्र श्री 'सी' और एक पुत्री कुमारी 'डी' छोड़ गए थे, जो सबसे छोटी थी। 1990 में कुमारी 'डी' का विवाह हुआ और 1996 में वह विधवा हो गई। 2001 में श्रीमती 'बी' की मृत्यु हो गई। इसके बाद विकलांग होने के नाते श्री 'सी' को कुटुंब पेंशन मिल रही थी, जिसकी 2003 में मृत्यु हो गई। इसके बाद कुटुंब पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि कुमारी 'डी' उस समय इसकी पात्र नहीं थी। उसने दिनांक 30 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन किया। चूंकि वह एक विधवा थी और उसकी माता की मृत्यु और अपनी बारी आने के समय उसके पास आय का कोई अलग स्रोत नहीं था, उसे कुटुंब पेंशन दी जा सकती है। कुटुंब पेंशन केवल तभी तक जारी रहेगी, जब तक वह पुन: विवाह नहीं करती है या न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर दिए जाने वाली महंगाई राहत के योग के बराबर या उससे अधिक आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती है।

6. यह केवल एक स्पष्टीकरण है और विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की पात्रता का निर्धारण दिनांक 28.04.2011 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 25/30 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किया जाता रहेगा।

डी सोलंकी

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का कार्यालय
3. महा लेखा नियंत्रक का कार्यालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
4. विभाग में उपलब्ध सूची में शामिल सभी पेंशनभोगी संघ
5. सभी अधिकारी/डेस्क